उ० प्र० प्रोबेशन पर कैदी का उन्मोचन अधिनियम

(1938 का यू० पी० अधिनियम, VIII)

(गवर्नर की सहमति पर 14 सितम्बर, 1983 को प्राप्त किया गया तथा भारत सरकार अधिनियम, 1935 में 24 सितम्बर, 1938 को प्रकाशित एक अधिनियम)

राज्य सरकार द्वारा विहित की गयी शर्तों पर कैदियों को परिवीक्षा पर छोड़े जाने के लिए उपबन्धित किया जाता है—

यतः यह समीचीन है कि वह दण्ड जिसे दिया गया है उसके भोगने के पूर्व कैदियों को निश्चित शर्तों पर प्रोबेशन पर उन्मोचित किया जाए यह इसके द्वारा निम्नवत् अधिनियमित किया जाता है।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ—(1) यह अधिनियम यूनाइटेड प्रॉबशन प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट, 1938 कहलाएगा;

(2) इसका विस्तार समस्त उ० प्र० में होगा;

(3) यह उस तिथि से प्रवर्तन में आया हुआ माना जाएगा जो तिथि इसमें प्रवर्तन के लिए अधिसूचना द्वारा विहित की जाए।

2. अनुज्ञप्ति पर अधिरोपित शर्तों पर अनुज्ञप्ति द्वारा उन्मोचन की राज्य की शक्ति—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 401 में किसी भी बात के होते हुए भी जहाँ पर एक व्यक्ति कारावास के दण्ड के अधीन निरोधित किया जाता है तथा राज्य सरकार को उसके पूर्ववर्ती आचरण से यह विदित होता है कि वह निरोधित व्यक्ति आपराधिक जीवन से विरत रहकर शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करने का इच्छुक है तो राज्य सरकार उसे लाइसेंस परमिट पर सरकार के सम्यक् प्राधिकारी के प्राधिकार पर या किसी धर्म निरपेक्ष संस्थान या वह संस्था जो कि उस कार्य का संचालन करती है, जिस धर्म का निरोधित व्यक्ति है तो वह इसके प्रबन्धन पर उन्मोचित कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण—पदावली कारावास का दण्ड जो कि इस धारा में प्रयुक्त है उसमें जुर्माने के व्यतिक्रम पर कारावास तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय VIII के अधीन प्रतिभूति के मांग पर प्रतिभूति को देने में निष्फलता भी सम्मिलित होगी।

3. अवधि जिस तक लाइसेंस प्रवर्तनीय होगा—धारा 2 के अधीन जारी किया प्रत्येक लाइसेंस उस तिथि तक प्रवर्तनीय रहेगा जब तक कि आदेश का निष्पादन नहीं हो जाता है तथा वह लाइसेंस, जिस पर कि निरोधित व्यक्ति को छोड़ा जाता है उसे रद्द या निलम्बित नहीं कर दिया जाता है।

4. उन्मोचन की अवधि उपशमनित कारावास पर भोगे गए कारावास के रूप में गिनी जाएगी—वह अवधि जिसके दौरान इस अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार जिस पर कि लाइसेंस प्रदत्त किया गया था, उस कारावास की अवधि को, जो कि भोगा गया है उसे भोगे जाने पर उक्त दण्ड के उपशमन पर कि अवधि से दण्ड का उपशमन माना जाएगा।

5. लाइसेंस का प्रारूप—धारा 2 में उपबन्धों के अधीन जारी किया गया प्रत्येक लाइसेंस ऐसे प्रारूप में होगा जिसमें कि राज्य सरकार द्वारा विहित साधारण या विशेष शर्तें दी जाएंगी।

Scanned with OKEN Scanner

6. लाइसेंस को निरस्त करने की शक्ति—(1) राज्य सरकार किसी भी समय कारणों को अभिलिखित करते हुए धारा 2 के अधीन पारित लाइसेंस को रद्द कर सकेगी।

बशर्ते कि कोई भी लाइसेंस सम्बन्धित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदत्त किए बिना उपधारा (1) में विहित शर्तों के अतिलंघन पर रद्द नहीं किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन पारित रद्दीकरण के आदेश में वह तिथि दी जाएगी जिस तिथि से लाइसेंस का प्रवर्तन समाप्त होगा तथा इसकी तकनीकी राज्य सरकार के विहित प्रारूप पर उस व्यक्ति पर तामील कराया जाएगा जिसको कि यह जारी किया गया था।

7. अभित्यगक का उन्मोचन जो कि दण्ड के प्रबन्धन से बच कर निकल भागता है—(1) यदि कोई भी व्यक्ति सरकार संस्थान या धर्म निरपेक्ष संगठन या सरकार के प्राधिकृत अधिकारी की या वह व्यक्ति जो कि धारा 2 के उपबन्धों के अधीन अभिरक्षा का विषय है या यदि कोई व्यक्ति जिसका लाइसेंस धारा 6 के उपबन्धों के अधीन रद्द कर दिया गया है वह उस तथ्य को साबित करने में असफल रहता है जिसको कि साबित करने का भार उस पर होगा या आदेश के पर्यावसान के पश्चात् वह मजिस्ट्रेट द्वारा दोषी ठहराया जाता है तो वह अनुवर्तित शर्त पर दिए गए कारावास के सिवाय मूल कारावास को भी भोगने के लिए दायी होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 4(1) के भावबोध में संज्ञेय अपराध माना जाएगा।

8. दण्ड के प्रतिप्रेषण की राज्य सरकार की शक्ति—(1) राज्य सरकार अच्छे आचरण के लिए जैसा भी विहित करे उक्त मात्रा की धनराशि में बन्धपत्र निष्पादित कर दिए जाने पर राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन पारित दण्डादेश के सीमा में किसी भी तरह की कमी या माफी कर सकेगी।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 126-126-क, 514, 514-क, 515 के उपबन्ध उसी तरह लागू होंगे मानों कि वे जैसे कथित संहिता के अध्याय VIII के अधीन वे दी गई प्रतिभूति के मामले में लागू होते हैं।

बशर्ते कि यदि किसी व्यक्ति से कथित अधिनियम की धारा 126-क या धारा 514-क के अधीन प्रतिभूति अपेक्षित करने के लिए कहा गया हो तथा वह प्रतिभूति देने में असफल रहता है तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन पारित आदेश को निरस्त करते हुए आदेश देगी इस तरह का व्यक्ति गैर पर्यावसित दण्ड भी भोगे।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन उन्मोचित किया गया कोई भी व्यक्ति बन्धपत्र की शर्तों के निक्षेपण में असफल रहता है तो राज्य सरकार यह निर्देश देगी कि उसे पुनः गिरफ्तार कर कारागार में लाया जाए तथा कथित बन्धपत्र के तहत संहिता के अधीन उसके विरुद्ध प्रतिभूति की कार्यवाही सम्पन्न की जाए।

9. नियम बनाने की शक्ति—राज्य सरकार अधिनियम के लिए निम्न नियमों को बना सकती है—

(1) लाइसेंस की शर्तें तथा प्रारूप जिस पर कि कैदी उन्मोचित किया जाएगा;

(2) उपधारा (2) में निर्दिष्ट मान्यता प्राप्त संस्थान में सरकारी अधिकारी की नियुक्ति;

(3) सरकारी अधिकारों की शक्ति तथा कर्त्तव्यों की परिभाषा जिससे प्राधिकार के अधीन सशर्त उन्मोचित कैदी अभिरक्षित किया गया है;

(4) उन अपराधियों के श्रेणी की परिभाषा जिन्हें कि सशर्त उन्मोचित किया गया है तथा कारावास की अवधि जिसके पश्चात वे उन्मोचित किए जा सकेंगे;

(5) इन शर्तों को विहित किया जाना जिनमें एक रद्द लाइसेंस की तामीली की जाएगी;

(6) सामान्यतया अधिनियम के सभी प्रयोजनों के प्रभाव का संवहन।

प्रोबेशन नियमों पर कैदियों का छोड़ा जाना

1. नाम—ये नियम प्रोबेशन नियम पर उत्तर प्रदेश के कैदियों के छोड़े जाने के नियम कहे जा सकेंगे।

2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कोई चीज, विषय और सन्दर्भ में प्रतिकूल न हो—

(1) 'अधिनियम' से तात्पर्य प्रोबेशन अधिनियम, 1938 पर उत्तर प्रदेश के कैदियों का छोड़ा जाना।

(2) 'संरक्षक' से तात्पर्य, सरकारी अधिकारी अथवा कैदी के धर्म के समान धर्म को मानने वाला व्यक्ति अथवा धर्म निरपेक्ष संस्था अथवा कैदी के धर्म के समान धर्म की समिति जिसकी देखरेख अथवा प्राधिकार में कैदी राज्य सरकार के प्रसाद प्रपन्न धारा 2 के अधीन छोड़ा जाता है।

उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रोबेशन अधिकारी सहायक समिति यदि हकदार है उस संस्था के प्रति जो कैदी के संरक्षक के रूप में कार्य करती है, कैदी को उन्मुक्त करेंगे।

(3) 'अधीक्षक' से तात्पर्य उस कारागार के अधीक्षक से है जहाँ तक दोषसिद्ध निरुद्ध है तथा इस नियम के अधीन छोड़ा जाता है।

[1][3. छोड़े जाने के लिए अयोग्यता—निम्न वर्ग के कैदी इस अधिनियम के अधीन नहीं छोड़े जायेंगे—

(अ) जो कि भारतीय दण्ड संहिता की निम्न अध्यायों और धाराओं के अधीन अपराधों के लिए दोषसिद्ध किये गये हैं—

अध्याय V-अ VI और VII धारायें 216 अ–224 और 225 (यदि यह मामला जेल से निकल भागने का है) 321, 232 303, 311, 328, 364, 376, 382, 386 से 389, 392 से 402, 413, 459, 460, 589, अ और धारा 511 जो उपरोक्त धाराओं के साथ पढ़ी जायेगी।

(ब) वे जो अधिनियम की धारा 7, 8 के अधीन दोषसिद्ध किये गये हैं अथवा जिनकी अनुज्ञप्ति की शर्तों के भंग के आधार पर पूर्व में प्रत्याहरित कर ली गयी है।

(स) वे जिनका छोड़े जाने का आवेदन इस अधिनियम की धारा 8 से अन्यथा राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही निरस्त कर दिया गया है।

[2][स्पष्टीकरण—उपबन्ध 'ग' में निहित सिद्धान्त एक कैदी को दूसरी बार धारा 2 के अन्तर्गत उन्मुक्ति के लिए प्रार्थनापत्र देने से मना करता है, परन्तु राज्य सरकार कारावास के महानिरीक्षक को निदेश दे सकता है कि किसी भी ऐसे मामले पर विचार करे जो कि पहले अस्वीकृत हो चुका है जिसका उल्लेख नियम 6 के उप-नियम 5 के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा पुनः विचार के लिए किया गया है।

[3][3(अ) एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा भारतीय दण्ड संहिता की किसी धारा के अधीन कम अवधि के या किसी अन्य नियम के अधीन कैदी का कारावास के लिए दण्डादेश अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रोबेशन पर छोड़े के लिए हो सकेगा।

---

1. अधिसूचना संख्या 1155 पी/XXII 1583–46 दिनांक 13 जुलाई, 1974 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 10842 पी०/XXII—1052–54 दिनांक 18-2-79 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. अधिसूचना संख्या 1056/XXII—1583—1946 दिनांक 11-7-91 द्वारा प्रतिस्थापित।

नू 4. उन्मुक्ति की अर्हतायें—नियम 3 में उल्लिखित कैदियों को छोड़कर किसी भी कैदी को राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञप्ति पर छोड़ने के लिए चुना जा सकता है।

(i) यदि वह एक ऐसा कैदी है जिसके ऊपर दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 433, 'अ' लागू होती है और वह कुल 14 वर्ष का कारावास काट चुका है;

(ii) यदि वह ऐसा कैदी है जिसे कि आजीवन कारावास के लिए दण्डित किया गया है तथा जिस पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 433 'अ' लागू नहीं होती है तथा छुट्टी घटाकर कुल 14 वर्ष तक कारावास की अवधि काट चुका है; तथा

(iii) किसी भी अन्य मामले में बिना छुट्टी घटाये यदि वह कारावासित अवधि का 1/3 समय काट चुका है।

5. दण्ड के संगणना—इन नियमों के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित सिद्धान्त कारावास के दण्डादेश की संगणना के लिए ध्यान दिये जाएंगे। नामतः

(अ)[1] जब कैदी कई अपराधों के लिए कारावास की अनेक अवधि के लिए दण्डादिष्ट किया गया हो और कारावास का दण्डादेश समवर्ती क्रम में हो तो तब दीर्घतम एकल दण्डादेश जिसे कैदी ने भोगा है उसके कारावास की अवधि समझी जायेगी।

(ब) जब कैदी कई अपराधों के लिए कारावास की कई अवधियों के लिए दण्डादिष्ट किया गया है और कारावास का दण्डादेश समवर्ती क्रम में है तो कुल अवधि जिसे कैदी ने भोगा है उसके कारावास की अवधि समझी जायेगी।

(स) उसके द्वारा प्राप्त की गयी माफी साधारणतया उसके द्वारा भुगते गये कारावास में गिनी जायेगी।

[2](द) आजीवन कारावास 20 वर्ष के कारावास के दण्डादेश के समान गिना जायेगा।

व्याख्या—व्याख्या 'कारावास का दण्डादेश' इन नियमों में जुर्माने के भुगतान के व्यतिक्रम पर कारावास के दण्डादेश को और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 के अध्याय VII के अधीन प्रतिभूति अदा करने की असफलता देश के लिए कारावास को भी सम्मिलित करती है।

नू 6. प्रक्रिया-(1) अधिनियम की धारा 2 के अधीन छोड़े जाने के लिए योग्य कोई भी कैदी फार्म अ में अधीक्षक को आवेदन कर सकेगा। ऐसा कार्य सरकार के खर्च पर मुद्रित किया जायेगा और कैदियों, उनके रिश्तेदारों और उनके संरक्षकों को मुफ्त दिया जायेगा।

(2) आवेदन प्राप्त होने पर अधीक्षक यह देखने के लिए आवेदन की परीक्षा करेंगे कि कैदी और प्रस्तावित संरक्षक ने सम्यक् रूप से भरे जाने वाले कालम को स्वयं भरा है। यदि आवेदन सही है तो अधीक्षक इसे ग्रहण करेंगे और फार्म में अन्तर्विष्ट रजिस्टर में प्रविष्टि करेंगे। यदि कैदी नियम 3 के अधीन अयोग्य है, वह आवेदन को खारिज कर देंगे और अपने आदेश को कैदी को सूचित कर देंगे। यदि कैदी नियम 4 के अधीन छोड़े जाने के लिए योग्य है तो वह आवेदन में अपने द्वारा भरे जाने वाले कालम को भरेंगे और यथाशीघ्र उसी

---

1. अधिसूचना संख्या 584/XXII-2392-1212 (130)-82 दिनांक 29 जून, 1992 (1992(डब्ल्यू० ई० एल० 30-6-92)) द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 1055-प्रो०/XXII—1583—46 दिनांक 31-7-1979 द्वारा प्रतिस्थापित।
3. पूर्वोक्त।

रूप में उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट के पास जिसमें कैदी दोषसिद्ध किया गया था, भेजेंगे, यदि आवेदन उचित रूप में नहीं है अधीक्षक इसे आवश्यक संशोधन और लोपों की पूर्ति के लिए कैदी को वापस कर देंगे।

उन दशाओं में जहाँ प्रोबेशन अधिकारी है जेल अधीक्षक आवेदन प्रोबेशन अधिकारी को भेजेंगे और उसकी एक प्रति पुलिस अधीक्षक को भेजेंगे जो कि प्रोबेशन अधिकारी को रिपोर्ट भेजेंगे। प्रोबेशन अधिकारी स्वतन्त्र जाँच करेंगे और अपनी रिपोर्ट में पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट सम्मिलित करके निम्न फार्म में सीधे अधीक्षक के पास भेजेंगे।

(1) दोषसिद्ध का नाम.....

(2) दोषसिद्धि की धारा.....

(3) दण्ड.....

(4) संरक्षक से सम्बन्ध.....

(5) अधीक्षकों की उपयुक्तता के बारे में राय (अनुपयुक्तता के मामलों में कारणों सहित).....

(अ) पुलिस.....

(ब) प्रोबेशन अधिकारी.....

(6) छोड़े जाने के सम्बन्ध में सिफारिश (जब छोड़े जाने का विरोध किया जाय तो कारण)—.....

(अ) जेल.....

(ब) पुलिस.....

(स) प्रोबेशन अधिकारी.....

(द) जिला मजिस्ट्रेट का आदेश.....

उपनियम (2) और इस नियम के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट जिसके जिले में कैदी साधारणतया निवास करता है, मामले के सुसंगत निर्णय की प्रमाणित प्रति मुफ्त देने के लिए न्यायालय को प्रेरित करेंगे और यदि आवश्यक हो तो सम्पृक्त पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सम्पर्क करेंगे। निर्णय की प्रति और कैदी के निवास करने वाले जिले के कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होने पर वह निर्णय की प्रति आवेदन के साथ संलग्न करेंगे और अपने द्वारा भरी जाने वाली प्रविष्टियां उसमें भरेंगे और बिना विलम्ब के कारागार के महानिरीक्षक के पास भेजेंगे।

3. (अ) उसके संरक्षक की मृत्यु की सूचना प्राप्त होने पर अनुज्ञप्तिधारी में से अन्य संरक्षक की नियुक्ति के प्रस्ताव के साथ उस जिले के जिला कलेक्टर जिसमें अनुज्ञप्तिधारी निवास करता है मृतक के स्थान पर नये संरक्षक की नियुक्ति के बारे में अपनी राय की उपयुक्तता प्रकट करते हुए मामले को राज्य सरकार के पास निर्दिष्ट करेंगे। अनुज्ञप्तिधारी अन्य संरक्षक की नियुक्ति के लिए अपना प्रस्ताव नहीं भेजेगा, कलेक्टर अनुज्ञप्तिधारी से यह अपेक्षा करेंगे कि ऐसा करने से पूर्व वह सरकार को निर्देशित करे। यदि मृतक के स्थान पर एक संरक्षक प्रस्तावित है तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कलेक्टर के आदेश प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मृतक के स्थान पर अन्य संरक्षक प्रस्तावित नहीं किया जायेगा तथा मामला सरकार के आदेश के लिए रिपोर्ट किया जायेगा।

(4) जिला मजिस्ट्रेट फार्म 'सी' में एक रजिस्टर रखेंगे जिसमें अधीक्षक से उपनियम (2) के अधीन प्राप्त किये गये आवेदन सम्यक् रूप से नोट करेंगे।

[1][(5) कारागार के महानिरीक्षक निरीक्षक द्वारा प्राप्त किये गये आवेदन निम्न संगठित बोर्ड द्वारा विचार किये जायेंगे।

(1) उत्तर प्रदेश सरकार के जेल विभाग के सचिव जो कि अध्यक्ष होंगे;

(2) उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग विशेष सचिव जो कि सदस्य गृह सचिव द्वारा नामित किये जायेंगे;

(3) न्यायिक सचिव और सदस्य द्वारा नामित उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक विभाग के विशेष सचिव;

(4) कारागार के महानिरीक्षक ....सदस्य।

[2][टिप्पणी—बोर्ड की बैठक की गणपूर्ति के लिए तीन सदस्य होंगे।

(6) राज्य सरकार बोर्ड की सिफारिश प्राप्त करने पर ऐसा पारित करेगी जैसा उचित समझेगी।

(7) राज्य सरकार जिला कलेक्टर द्वारा रक्षक के स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी के नये संरक्षक की नियुक्ति के लिए आवेदन प्राप्त होने पर ऐसा आदेश पारित करेगी जैसा उचित समझेंगे।

7. अनुज्ञप्तिधारी—कैदी जिसके छोड़े जाने की अनुज्ञप्ति सरकार द्वारा मंजूर की गयी है फार्म 'डी' में अनुज्ञप्ति प्रदान की जायेगी ऐसी अनुज्ञप्ति तीन प्रतियों में प्रत्येक कैदी के लिए तैयार की जायेगी। एक सरकार द्वारा प्रतिधारित की जायेगी और दूसरी कैदी के संरक्षक को देने के लिए अधीक्षक के पास भेज दी जायेगी और तीसरी सूचना के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजी जायेगी।

8. कैदी और संरक्षक को सूचना—सरकार का आदेश प्राप्त करने पर अधीक्षक जल्द से जल्द वह उसी कैदी को सम्पृक्त जिला मजिस्ट्रेट को सम्बन्धित करेंगे और छोड़े जाने के किसी आदेश की दशा में संरक्षक को भी सूचित करेंगे और उसे कैदी के भारसाधन के लिए उपस्थित होने के लिए बुलायेंगे। स्वयं संरक्षक के उपस्थित होने पर अधीक्षक राज्य सरकार द्वारा ऐसा अनुज्ञप्ति प्रति प्रदान की और फार्म (ब) रजिस्टर में कैदी का भारसाधन लेने के लिए उसके हस्ताक्षर लेंगे।

9. संरक्षक के कर्त्तव्य—संरक्षक का यह देखने का कर्त्तव्य होगा कि अनुज्ञप्ति की सभी शर्तें पूरी हैं वह अनुज्ञप्तिधारी के कल्याण और आचरण के पश्चात् चालित रखेंगे और साधारणतया (Loco Parents) उपस्थित में कार्य करेंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी का आचरण खराब पाया जाता है तो संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि तथ्य को जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे।

(ब) अनुज्ञप्तिधारी के साथ व्यवहार करते समय संरक्षक जब वह उत्तर प्रदेश द्वारा नियुक्त प्रोबेशन अधिकारी है कैदियों को 'सहायता समिति' में छोड़ना तथा समिति द्वारा प्रोबेशन अधिकारी के मार्ग दर्शन के लिए बनाये गये नियमों से राज्य सरकार के अनुमोदन से शासित होगा।

10. प्रत्याहरण (1)—जिला मजिस्ट्रेट संरक्षक से अथवा अन्य स्रोतों से अनुज्ञप्ति की शर्तें के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंग की सूचना प्राप्त होने पर, अनुज्ञप्तिधारी को यह कारण दर्शित करने कि क्यों न उसकी अनुज्ञप्ति प्रत्याहरित कर दी जानी चाहिये सूचना देंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी सूचना के प्रत्युत्तर के लिए स्वयं उपस्थित होता है तब उसे व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् और यदि वह स्वयं उपस्थित नहीं होता है तब उसे सुने बिना

---

1. अधिसूचना संख्या 2175-प्रो/XXII—90—2121 दिनांक 21-5-90 द्वारा प्रतिस्थापित।
2. अधिसूचना संख्या 5866/XXII—2-92-212 दिनांक 8-10-92 द्वारा प्रतिस्थापित।

मजिस्ट्रेट विचार करेंगे कि चाहे राज्य सरकार की सिफारिश से कैदी की अनुज्ञप्ति प्रत्याहरित करने के लिए कार्यवाही करेंगे। अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर जिला मजिस्ट्रेट शर्तें अथवा शर्त जो कि उनकी राय में अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भंग की गयी है, का कथन करेंगे और कैसे वे भंग की गयी है, का कथन करेंगे।

(2) मामले में जिला मजिस्ट्रेट अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण की सिफारिश विनिश्चित करेंगे, यदि उनका विचार हो वह उसी समय।

(3) राज्य सरकार जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश प्राप्त करने पर ऐसा आदेश पारित करेगी जो उचित समझे।

(4) अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण का कोई आदेश फार्म E में होगा और अनुज्ञप्तिधारी यदि कारागार में निरुद्ध है, कारागार के अधीक्षक द्वारा दिया जायेगा और यदि कारागार में परिरुद्ध नहीं है पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

(5) प्रत्याहरण का आदेश अधीक्षक द्वारा व्यवस्थित किये गये रजिस्टर में नोट किया जाएगा।

(6) यदि कैदी अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है और संरक्षक के प्राधिकार और देख-रेख से भाग निकलता है अथवा अपनी अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण का विवरण देने में असफल रहता है संरक्षक तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे और अधीक्षक नजदीकी थाने को रिपोर्ट करेंगे और कैदी के विरुद्ध संज्ञेय मामले की तरह कार्यवाही की जायेगी।

11. सुपुर्दगी का वारण्ट—अधिनियम के अधीन कैदी के छोड़े जाने पर अधीक्षक वारण्ट जो कि न्यायालय द्वारा कैदी को कारागार में सुपुर्दगी के लिये दिया गया था, उसके दण्ड के माफ किये जाने पर प्रतिधारित करेंगे। अवधि, जिसमें कैदी इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अनुज्ञप्ति पर कारागार से अनुपस्थित रहता है उसके दण्डादेश की संगणना के उद्देश्य के भाग के रूप में गिना जायेगा। जब दोषसिद्ध अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है दण्डादेश समाप्त करता है अधीक्षक वारण्ट जो न्यायालय द्वारा दिया गया था वापस कर देंगे।

12. अन्तिम रूप से छोड़ा जाना—संरक्षक द्वारा प्रत्याहरित किये जाने से अन्यथा अनुज्ञप्ति की अवधि के समाप्त होने पर संरक्षक तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेगा कि उसने अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों को ध्यान से देख लिया है और उसके प्रभाव को अनुज्ञप्ति पर नोट कर दिया है और इसे अधीक्षक को वापस कर दिया है।

13. पुलिस में रजिस्ट्रीकृत दोषसिद्ध कैदी—जब कैदी अधिनियम के अधीन छोड़ा जाता है तो वह पुलिस रजिस्ट्रीकृत दोषसिद्ध होगा। कारागार के अधीक्षक उस जिले के पुलिस अधीक्षक जिसमें ऐसा दोष अनुज्ञप्ति पर निवास करता है, को संरक्षक के नाम और पते सहित सूचित करेंगे और उसी समय अनुज्ञप्ति के अन्तिम रूप से छोड़े जाने की तिथि भी सूचित करेंगे। कैदी के अन्तिम रूप से छोड़े जाने पर पुलिस रजिस्टर जिसमें पुलिस अधीक्षक के पास भेजा जायेगी।

14. संरक्षक—(1) प्रत्येक मामले में जिला मजिस्ट्रेट अवधारित करेंगे कि चाहे प्रस्तावित संरक्षक अपने पद के अनुसार कार्यों के उपयुक्त हैं और नियन्त्रण की डिग्री कि वह कैदी पर अभ्यास कर सकेगा और राज्य सरकार को सूचित करेगा।

(2) कैदी के माता, पिता और सम्बन्धी संरक्षक नियुक्त कर सकेंगे यदि जिला मजिस्ट्रेट सन्तुष्ट है कि वे ऐसे संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए उपयुक्त हैं।

(3) कारागार का कोई अधिकारी जब तक कि कारागार के महानिरीक्षक इसको मंजूरी न दें संरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य न होंगे।

15. दण्डादेश का परिहार—(1) अधिनियम की धारा 8 के अधीन दण्डादेश के परिहार का कोई भी आवेदन कैदी द्वारा अथवा उस व्यक्ति जिसने दोषसिद्धि होने वाले जिले के जिला मजिस्ट्रेट को प्रतिभूति दिया है, द्वारा दिया जायेगा अथवा जहाँ वह एक से अधिक जिले में दोषसिद्ध किया गया है, ऐसे किसी भी जिला मजिस्ट्रेट को किया जायेगा।

(2) जिला मजिस्ट्रेट कैदी के पूर्ववृत्त और उसके जेल में के आचरण और उसके पर्यावरण पर विचार करेंगे और जहाँ एक प्रोबेशन अधिकारी नियुक्त है और ऐसे अन्य प्राधिकारी जिन्हें वह उचित समझता है, से परामर्श करने के पश्चात् आवेदन की प्राप्ति के एक माह के भीतर अपनी राय का कथन करते हुए राज्य सरकार के पास भेजेंगे चाहे कैदी अपराध से प्रतिविरत रहता है और कारागार से छोड़े जाने पर शान्तिपूर्ण जीवन यापन कर रहा है।

(3) राज्य सरकार ऐसे आवेदन के प्राप्त होने पर कैदी को उसके बन्धपत्र और ऐसी रकम के एक और प्रतिभूति दिये जाने और राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जाने वाले अच्छे व्यवहार और राज्य सरकार द्वारा अधिरोपित की जाने वाली शर्तों को ध्यान से देखने पर छोड़ दिया जायेगा।

(4) यदि कोई कैदी अधिनियम की धारा 8 के उपधारा (1) के अधीन छोड़ा जाता है और बन्धपत्र की शर्तों को ध्यान से देखने में असफल रहता है तो जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट यदि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत है दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 514 के अधीन कार्यवाही कर सकेंगे और अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन दण्डादेश के परिहार के लिए पारित किये गये आदेश को निरस्त करने के लिए राज्य सरकार को रिपोर्ट करेंगे और राज्य सरकार धारा 8 के उपनियम (3) के अनुसार ऐसा आदेश जो वह उपयुक्त समझे पारित कर सकेगी।

फार्म—(अ)

(नियम 6 और उपनियम (1) देखें)

(कैदी उसके सम्बन्धी और उसके संरक्षक को मुफ्त पूर्ति की जायेगी)

कैदी द्वारा कारागार के अधीक्षक को उत्तर प्रदेश कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अधीन दिया जायेगा (कैदी और उसके संरक्षक द्वारा भरा जायेगा)—

(1) कैदी का नाम.....

(2) पिता का नाम.....

(3) जाति.....

(4) निवास.....

(5) प्रस्तावित संरक्षक का नाम.....

(6) संरक्षक के पिता का नाम.....

(7) संरक्षक की जाति.....

(8) संरक्षक की आयु.....

(9) संरक्षक का पता.....

(10) संरक्षक का व्यवसाय.....

(11) क्या संरक्षक पढ़ा लिखा है?.....

कैदी द्वारा घोषणा

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए इच्छुक हूँ।

हस्ताक्षर

.....कैदी का.....

अंगूठा निशान

दिनांक

संरक्षक द्वारा घोषणा

मैं समिति के संस्था पक्ष में.....उपरोक्त वर्णित कैदी की देख-रेख धारण करता हूँ और उत्तर प्रदेश कैदियों को छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 के उपबन्धों का और उनके अधीन बनाये गये नियमों और अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन करूँगा।

हस्ताक्षर

.....कैदी का.....

अंगूठा निशान

टिप्पणी—यदि प्रस्तावित संरक्षक समिति अथवा कोई संस्था नहीं है तो शब्द कोष्ठक में होंगे।

(जेल के अधीक्षक द्वारा भरा जायेगा)

(1) कैदियों की संख्या.....

(2) कैदियों की आयु.....

(3) दण्डादेश की तिथि.....

(4) दण्डादेश की अवधि.....

(5) दण्डादिष्ट करने वाले अधिकारी और केश संख्या.....

(6) खण्ड.....

(7) यदि आवेदक नियम 3 के अधीन छोड़े जाने के लिए अयोग्य हो तो अधीक्षक अपने हस्त लेख में आवेदन की खारिजी आदेश कारण सहित लिखेंगे और पश्चात्वर्ती स्तम्भों को नहीं भरेंगे.....

(8) कैदी की शारीरिक और मानसिक स्थिति.....

(9) जेल में आचरण.....

(10) जेल में कैदी को आवण्टित कार्य.....

(11) कैदी द्वारा जेल में कारित किये गये अपराध और.....उनके लिए दिये गये दण्ड

(12) कारागार में किसी विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त किया प्रशिक्षण अथवा धारित किया गया विशेष व्यवसाय.....

Scanned with OKEN Scanner

(13) कारागर भुगतान का प्रभाव.....

(14) आवेदन की तिथि से जेल में बीतने की अवधि.....

(15) (अर्नेड रिमीसन) प्राप्त माफी.....

(16) इस नियम के अधीन माफी अनुज्ञात किये जाने के पश्चात् कैदियों के छोड़े जाने की तिथि आवेदन की तिथि पर प्राप्त की गयी माफी पर संगठित किया जायेगा.....

(17) कैदी को अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाना एडविजिबिल है?.....

(18) कैदियों को छोड़े जाने के विषय में सरकार को पूर्व में किया गया कोई निर्देश यदि कोई हो या तो स्वयं जेल के अधीक्षक द्वारा अथवा जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से किया जायेगा.....

वारण्ट सहित प्रविष्टियों की जांच

दिनांक जेलर जेल अधीक्षक

(जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जायेगा)

(1) क्या प्रस्तावित संरक्षक ऐसा कार्य करने के लिए उपयुक्त है?.....

(2) कैदी का पूर्ववृत और उसका आचरण यदि वह अपराध से प्रविरत रहने के समान है और यदि वह अनुज्ञप्ति पर छोड़ा जाता है, शान्तिपूर्ण जीवन यापन करेगा.....

दिनांक..... जिला मजिस्ट्रेट.....

[बोर्ड की सिफारिश]

(1) बोर्ड की सिफारिश.....

(2) माह के.....पश्चात् अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश जुर्माने के भुगतान में व्यतिक्रम अथवा यदि शीघ्र ही जुर्माने के भाग का भुगतान किया जाता है.....

(3) उपयुक्त संरक्षक उपलब्ध होने पर अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश.....

(4) यदि कैदी का आचरण सन्तोषजनक है, माह के.....पश्चात् अनुज्ञप्ति पर छोड़े जाने के लिए सिफारिश.....

(5) कैदी के अग्रिम आचरण के ध्यान दिये जाने तक मुल्तवी रखना.....

(6) उपयुक्त संरक्षक के आ जाने तक मुल्तवी रखना.....

(7) खारिजी (संक्षिप्त कारण .....

(8) मान्यता प्राप्त संरक्षक का नाम.....

सदस्य सदस्य अध्यक्ष

सरकार का आदेश

दिनांक 19 सरकार के सचिव

दिनांक 19

Scanned with OKEN Scanner

फार्म—बी

(नियम 6(2) देखें)

उत्तर प्रदेश कैदियों को प्रोबेशन अधिनियम, 1938 के अधीन छोड़े जाने के लिए आवेदन का जेल रजिस्टर

(1) क्रम संख्यांक.....

(2) आवेदन की तिथि.....

(3) कैदी का नाम.....

(4) कैदी की संख्या.....

(5) चाहे आवेदन अधीक्षक द्वारा खारिज किया गया है.....

(6) चाहे अधीक्षक द्वारा कैदी को वापस किया है.....

(7) यदि अनुज्ञप्ति प्रदान की गयी है तो अनुज्ञप्ति के समाप्त होने की तिथि.....

(8) आवेदन के जिला मजिस्ट्रेट के पास भेजे जाने की तिथि.....

(9) सरकार का आदेश.....

(10) संरक्षक का नाम.....

(11) अनुज्ञप्ति देने की तिथि और कैदी को संरक्षक को देने की तिथि.....

(12) कैदी के जेल में पुनः प्रवेश करने की तिथि.....

(13) अनुज्ञप्ति यदि कोई हो, के प्रत्याहरण की तिथि.....

(14) अनुज्ञप्ति की प्राप्ति और उसे कैदी को दिये जाने पर संकेत में हस्ताक्षर.....

(15) जेल से अंतिम रूप से छोड़े जाने की तिथि.....

(16) टिप्पणियाँ.....

फार्म—सी

(नियम 6(4) देखें)

उत्तर प्रदेश के कैदियों को प्रोबेशन अधिनियम के अधीन छोड़े जाने के लिए रजिस्टर जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय में व्यवस्थित होगा

(1) क्रम संख्या.....

(2) अधीक्षक से आवेदन प्राप्त होने की तिथि.....

(3) कैदी का नाम.....

(4) दोषसिद्ध करने वाले न्यायालय का नाम.....

(5) चाहे छोड़े जाने के लिए सरकार से सिफारिश दी गयी हो.....

(6) आवेदन के महानिरीक्षक को भेजे जाने की तिथि.....

(7) राज्य सरकार का आदेश.....

Scanned with OKEN Scanner

(8) संरक्षक का नाम.....

(9) अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण की तिथि यदि कोई हो.....

(10) चाहे अधिनियम की धारा 7 के अधीन कार्यवाही की गयी हो.....

(11) टिप्पणियाँ.....

फार्म—डी

(नियम 7 देखें)

प्रोबेशन अधिनियम, 1938 द्वारा कैदियों को धारा 2 के अधीन शर्त पर छोड़े जाने का आवेदन

प्रोबेशन अधिनियम, 1938 के द्वारा कैदियों को छोड़े जाने के लिए धारा 2 के द्वारा दी गयी शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार प्रसाद प्रयन्त प्रदान किये जाने के लिए एतस्मिन पश्चात् शर्तों का ध्यान देंगे और के .....पुत्र .....जाति .....आयु.....निवासी पुलिस थाना.....जिला.....दोषसिद्ध संख्या.....वर्तमान में जेल में परिरुद्ध और देख-रेख के अधीन और प्राधिकारी.....पुत्र.....जाति.....निवास स्थान.....पुलिस थाना..... जिला.....अथवा समिति/संस्था.....एतद्द्वारा संरक्षक के रूप में कथित कैदी के लिए नियुक्त अनुज्ञप्ति..... तिथि.....को जब तक पूर्व में ही समाप्त न हो समाप्त होगी।

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ध्यान दी जाने वाली शर्तें

1. अनुज्ञप्तिधारी उपरोक्त वर्णित संरक्षक के प्राधिकार और देख-रेख के अनुज्ञप्ति की अवधि के दौरान होगा। वह निवास नियोजन और आचरण के बारे लिखित रूप में या मौखिक रूप में दिये गये सभी निर्देशों का पालन करेगा।

2. वह अपने संरक्षक द्वारा मना की गयी सीमा से परे बिना उसकी अनुज्ञा से प्रस्थान नहीं करेगा और संरक्षक द्वारा निर्दिष्ट किये गये स्थान संरक्षक द्वारा विहित किये गये मार्ग से जावेगा।

3. वह स्वयं उसे या उसके द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे समय और स्थान पर रिपोर्ट करेगा।

4. वह कारखाने में संरक्षक की संतुष्टि पर नियोजन में कार्य करेंगे।

5. वह भारत में विधि द्वारा किसी भी समय या उसके किसी भाग के लिए दण्डित कोई भी अपराध नहीं करेगा।

6. वह किसी भी बुरे चरित्र वाले व्यक्ति को बुरे जीवन वाले व्यक्ति का सहयोग किसी भी कार्य में नहीं करेगा।

7. यदि वह राज्य सरकार की राय में उपरोक्त वर्णित शर्तों का भंग करते हुये पाया जाता है तो राज्य सरकार सम्पृक्त व्यक्ति को अपने मामले का प्रतिनिधित्व वर्तमान समय में निवास करने वाले जिले में जिला कलेक्टर के समक्ष करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति प्रत्याहरित कर देंगे और कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के

Scanned with OKEN Scanner

अधिनियम, 1938 की धारा 4 के उपबन्धों के विषयों के लिए शेष दण्डादेश के लिए पुनः कारागार में भेजने का निर्देश देंगे।

8. ऐसी अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण पर आदेश में विनिर्दिष्ट तिथि के पूर्व कारागार वापस कर देंगे।

9. उसके संरक्षक की मृत्यु हो जाने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी अपने निवास करने वाले जिले के जिला कलेक्टर को तथ्य को सूचित करेंगे और यदि सम्भव हो मृतक के स्थान दूसरे उपयुक्त संरक्षक को प्रस्तावित करेंगे और प्रस्तावित संरक्षक का पूर्ण विवरण देंगें।

संरक्षक के कर्त्तव्य

संरक्षक का यह देखने का कर्त्तव्य होगा कि अनुज्ञप्ति की शर्तें पूर्ण की गयी हैं। वह अपने अनुज्ञप्तिधारी के कल्याण और आचरण को देखेंगे और साधारणतया माता-पिता की भाँति (Loco Parents) करेंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी का आचरण खराब रहता है तो संरक्षक का यह कर्त्तव्य होगा कि तथ्य को जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करें।

यदि कैदी इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति पर छोड़ा गया है और देख-रेख अथवा संरक्षक से भाग गया है अथवा उसका कारागार में वापस किया जाना असफल है तो अनुज्ञप्ति को प्रत्याहरित करने पर संरक्षक तुरन्त जिला मजिस्ट्रेट और अधीक्षक को सूचित करेंगे और नजदीकी पुलिस थाने को रिपोर्ट करेंगे और कैदी के विरुद्ध संज्ञेय अपराध की भाँति कार्यवाही की जायेगी।

प्रत्याहरित किये जाने से अन्यथा अनुज्ञप्ति की समाप्ति पर संरक्षक तुरन्त अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करेंगे कि वह अनुज्ञप्ति की शर्तों का ध्यान से देखने से मुक्त है और इसके प्रभाव को अनुज्ञप्ति में नोट करेगा और इसे अधीक्षक को वापस कर देगा।

फार्म—ई

(नियम 10(4) देखें)

कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 की धारा 6 के अधीन अनुज्ञप्ति के प्रत्याहरण के आदेश जहाँ.....अनुज्ञप्तिधारी उ०प्र० कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 की धारा 2 के अधीन छोड़ा गया है और अपनी अनुज्ञप्ति की शर्त न.....का भंग किया है। इसलिए अब उ०प्र० कैदियों को प्रोबेशन पर छोड़े जाने के अधिनियम, 1938 की धारा 6 द्वारा प्रदान की गयी शक्ति के प्रयोग में राज्य सरकार एतद्द्वारा कथित अधिनियम की धारा 2 के अधीन अनुज्ञप्ति को..... प्रत्याहरित करती है और को.....पुत्र श्री..... निवासी.....को.....पुलिस थाना.....जिला..... दोषसिद्ध संख्या.....पुत्र श्री..... निवासी.....पुलिस थाना, जिला की संरक्षकता में कारागार को प्रदान करता हूँ और निर्दिष्ट करता हूँ कि कथित अधिनियम की धारा 4 के उपबन्धों के विषयों के लिये शेष दण्डादेश के भुगतने के लिए उसे कारागार में पुनः प्रवेश दिया जाये।

(कथित दोषसिद्ध स्वयं अधीक्षक को कारागार में या उससे.....पूर्व रिपोर्ट करने के लिए निर्दिष्ट है.....)

———

Scanned with OKEN Scanner